

परिषद की
मेरठ जोन

के अन्तर्गत मेरठ, सहारनपुर, गाज़ियाबाद तथा बड़ौत
में आवासीय/व्यवसायिक सम्पत्तियों का

आवंटन/नीलामी



आवंटन/नीलामी
तिथि:

31.01.2019

समय

11:00 बजे

—: नीलामी स्थल :—

सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, जागृति विहार योजना सं0-6, मेरठ



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

नीलामी से निस्तारित होने वाली सम्पत्तियां

मंगलपाण्डे नगर, योजना संख्या-1, मेरठ (नव विकसित व्यवसायिक भूखण्ड)								
सम्पत्तियों की श्रेणी / प्रकार	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	एफ.ए. आर.	ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत	अधिकतम ऊँचाई (मी.में)	भूमि दर फ्री होल्ड सहित प्र.व.मी.	आरक्षित मूल्य (प्रति नग)	टोकन मनी की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
व्यवसायिक भूखण्ड सेक्टर-2 (03 नग)	SCP-2/1 (GEN)	48.24	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	78848.00	3803628	380363
	SCP-2/2 (GEN)	45.15	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	78848.00	3559987	355999
	SCP-2/3 (GEN)	56.61	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	78848.00	4463585	446359
शास्त्री नगर, योजना संख्या-3, मेरठ								
सम्पत्तियों की श्रेणी / प्रकार	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	एफ.ए. आर.	ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत	अधिकतम ऊँचाई (मी.में)	भूमि दर फ्री होल्ड सहित प्र.व.मी.	आरक्षित मूल्य प्रति नग	टोकन मनी की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
व्यवसायिक भूखण्ड आई ब्लाक (01 नग)	एल.1185/2 (Corner)	77.76	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	10.50	59136.00	4598415	459842
दुकानों के ब्लाक (11 नग) शास्त्री नगर योजना संख्या-3, मेरठ	K-1	8.062	-	-	-	-	1160000	116000
	K-2,3,4, 12,15,16	9.099	-	-	-	-	1309350	130935
	K-17, 18, 22, 25	8.131	-	-	-	-	1169900	116990
माधवपुरम, योजना संख्या-10, मेरठ (नवविकसित व्यावसायिक भूखण्ड)								
सम्पत्तियों की श्रेणी / प्रकार	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	एफ.ए. आर.	ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत	अधिकतम ऊँचाई (मी.में)	भूमि दर फ्री होल्ड सहित प्र.व.मी.	आरक्षित मूल्य प्रति नग	टोकन मनी की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
व्यवसायिक भूखण्ड 80 व.मी. तक सेक्टर-1 (06 नग)	I/CP-9 (GEN)	78.00	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	36960.00	2882880	288288
	I/CP-10 (GEN)	78.00	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	36960.00	2882880	288288
	I/CP-11 (GEN)	78.00	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	36960.00	2882880	288288
	I/CP-12 (GEN)	78.00	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	36960.00	2882880	288288
	I/CP-16 (GEN)	78.00	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	36960.00	2882880	288288
	I/CP-20 (GEN)	78.00	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	36960.00	2882880	288288

आवंटन से निस्तारित होने वाली सम्पत्तियां

माधवपुरम, योजना संख्या-10, मेरठ

सम्पत्तियों की श्रेणी/प्रकार	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.मी. में	भूमि दर फ्री होल्ड सहित प्र.व.मी.	आरक्षित मूल्य प्रति नग	पंजीकरण की धनराशि
80 व.मी. तक के आवासीय भूखण्ड (02 नग)	4/105 (एससी सीनियर सिटीजन)	25.20	18480.00	465696	23300
	4/95 (सामान्य सीनियर सिटीजन)	25.20	18480.00	465696	23300

अशोक विहार योजना, खतौली गैर आवासीय सम्पत्तियाँ:-

सम्पत्तियों की श्रेणी/प्रकार	सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	एफ.ए. आर	ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत	अधिकतम ऊँचाई (मी.में)	आरक्षित भूमिदर (प्र.व.मी.) फ्री होल्ड सहित	आरक्षित मूल्य (लाख में)	टोकन मनी (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
व्यवसायिक भूखण्ड 08 नग	B.Com-2	85.79	1.20	40%	उप विधि के अनुसार	21580.00	18.51	1.85
	B.Com-3	78.20	1.20	40%	उप विधि के अनुसार	21580.00	16.88	1.69
	B.Com-4	78.20	1.20	40%	उप विधि के अनुसार	21580.00	16.88	1.69
	B.Com-5 Corner	88.32	1.20	40%	उप विधि के अनुसार	23740.00	20.97	2.10
	B.Com-6 Corner	154.95	1.20	40%	उप विधि के अनुसार	23740.00	36.79	3.68
	B.Com-7	128.92	1.20	40%	उप विधि के अनुसार	21580.00	27.82	2.78
	B.Com-8	140.17	1.20	40%	उप विधि के अनुसार	21580.00	30.25	3.02
	B.Com-9	166.35	1.20	40%	उप विधि के अनुसार	21580.00	35.90	3.59

शाकुम्भरी विहार (मवीकलाँ योजना संख्या-8) सहारनपुर

सम्पत्तियों की श्रेणी/प्रकार	संख्या	आरक्षण	क्षेत्रफल (व.मी. में)	आरक्षित मूल्य (लाख में)	टोकन मनी (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6
(67/162 प्रकार) सेमी फिनिश उच्च आय वर्ग भवन 03 नग	3D-48	सामान्य	189.62 (Corner)	45.60	2.28
	3D-49	सामान्य	166.50	39.23	1.96
	3D-51	सामान्य	166.50	39.23	1.96
(53/127 प्रकार) सेमी फिनिश मध्यम आय वर्ग भवन 01 नग	3B-64	सामान्य	127.5	30.97	1.55

अशोक विहार योजना, खतौली

सम्पत्तियों की श्रेणी/प्रकार	संख्या	आरक्षण	क्षेत्रफल (व.मी. में)	आरक्षित मूल्य (लाख में)	टोकन मनी (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6
(53/127 प्रकार) मध्यम आय वर्ग भवन 01 नग	D-128	सामान्य	127.50	24.08	1.20

चरण विहार योजना, बड़ौत आवासीय सम्पत्तियाँ:-

सम्पत्तियों की श्रेणी/प्रकार	सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	आरक्षित भूमिदर (प्र.व.मी.) फ्री होल्ड सहित	आरक्षित मूल्य (लाख में)	टोकन मनी (रु. लाख में)
1	2	3	4	4	5
आवासीय भूखण्ड 02 नग	2C/101	313.77 Corner	24592	77.17	3.86
	1A-379	30.15	21840	6.59	0.33

अशोक विहार योजना, खतौली

सम्पत्तियों की श्रेणी/प्रकार	सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	आरक्षित भूमिदर (प्र.व.मी.) फ्री होल्ड सहित	आरक्षित मूल्य (रु. लाख में)	टोकन मनी (रु. लाख में)
1	2	3	4	4	5
सर्विस भूखण्ड 01 नग	F-220	40.32	10080	4.07	0.21
आश्रय भूखण्ड 03 नग	F-320	39.05	10080	3.94	0.2
	F-321	54	10080	5.45	0.28
	F-363	45.78 Corner	11088	5.08	0.26

चरण विहार योजना, बड़ौत

सम्पत्तियों की श्रेणी/प्रकार	सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	आरक्षित मूल्य (लाख में)	टोकन मनी (रु. लाख में)
1	2	3	4	5
दुर्बल आय वर्ग भवन 01 नग	2C-238	40.32	11.00	0.55

नोट : (1) दुर्बल आय वर्ग भवन हेतु आवेदक की पूर्व वित्तीय वर्ष में वार्षिक आय रु. 1,00,000/- जिसमें उसकी पत्नी व नाबालिग बच्चों की आय (यदि कुछ हो) भी सम्मिलित होगी, से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसकी पुष्टि हेतु आवेदक को अपने प्रार्थना पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत नवीनतम आय प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।

(2) आरक्षित वर्ग की सम्पत्ति में आवेदन करने हेतु आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अपना आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी अनिवार्य होगी।

प्रमाणित किया जाता है कि आवंटन योग्य सभी अवशेष रिक्त सम्पत्तियों का विज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है तथा वर्तमान में ऐसी कोई भी सम्पत्ति अवशेष रिक्त नहीं है, जो आवंटन योग्य हो एवं उक्त का समावेश विज्ञापन में न किया गया हो।

वसुन्धरा योजना/सिद्धार्थ विहार/मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद में रिक्त
आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों को प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

वसुन्धरा योजना गाजियाबाद सेक्टर-15 शिखर एन्कलेव (आवासीय सम्पत्तियाँ)

सम्पत्ति की संख्या	सम्पत्ति की श्रेणी	क्षेत्रफल (व.मी. में)	आरक्षित श्रेणी	आरक्षित मूल्य फ्री होल्ड सहित (रु. में)	पंजीकरण/टोकन धनराशि (रु.)
12	02 बी.एच.के. (छठे तल से नवे तल तक)	106.21	अनारक्षित	7713000.00	386000.00

नीलामी से निस्तारित होने वाली सम्पत्तियाँ

वसुन्धरा योजना गाजियाबाद (आवासीय भूखण्ड) (नीलामी से)

भूखण्डों की श्रेणी व क्षेत्रफल	भूखण्डों की संख्या	आरक्षित श्रेणी	आरक्षित मूल्य	टोकन मनी (रु.) में
1	2	4	4	5
74.75 से 78.00 वर्ग मी. तक	08	सामान्य	441295.00 से 2953315.00 तक	444150.00 से 495350.00 तक
नोट- भूखण्डों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है।				

वसुन्धरा योजना गाजियाबाद सेक्टर-4सी के दुर्बल आय वर्ग चार मंजिलें (आवासीय सम्पत्तियाँ)

सम्पत्ति की श्रेणी	सम्पत्ति की श्रेणी	क्षेत्रफल (व.मी. में)	आरक्षित श्रेणी	आरक्षित मूल्य फ्री होल्ड सहित (रु. में)	पंजीकरण/टोकन धनराशि (रु.)
एफ-37	4सी/4222 (तृतीय तल)	37.00	अनारक्षित	2101000.00	105100.00
	4सी/4217 (तृतीय तल)	37.00	अनारक्षित	2101000.00	105100.00

सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद ब्रह्मपुत्र एन्कलेव के निरस्तीकरण से रिक्त चार मंजिलें (आवासीय सम्पत्तियाँ)

क्रम.सं.	सम्पत्ति का प्रकार	क्षेत्रफल (व.मी. में)	फ्लैट की श्रेणी	फ्लैटों की संख्या	कुल मूल्य	पंजीकरण/टोकन धनराशि (रु.)
1	ब्रह्मपुत्र योजना	47.73	भूतल	48	2763230.00	138200.00
		47.73	प्रथम तल	25	2341230.00	117100.00
		47.73	द्वितीय तल	46	2294230.00	114800.00
		47.73	तृतीय तल	74	2348230.00	112500.00

सिद्धार्थ विहार योजना के गंगा यमुना हिण्डन अपार्टमेन्ट

क्रम. सं.	सम्पत्ति श्रेणी	फ्लैटों की संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी.	कुल मूल्य (लाख में)	टोकन धनराशि (लाख में)	एक माह के अन्दर देय धनराशि (लाख में)	शेष 80 प्रतिशत धनराशि 11.5 प्रतिशत ब्याज सहित 120 मासिक किश्तें	रिमार्क
1	हिण्डन अपार्टमेन्ट							मूल्य के अतिरिक्त कवर्ड पार्किंग हेतु रु.—1.75 लाख, खुली पार्किंग हेतु रु.—0.75 लाख अतिरिक्त देय होगा। 01 बी.एच.के. हेतु रु.—1.00 लाख, 02 बी.एच.के. हेतु रु.—1.45 लाख एवं 02 बी.एच.के.+स्टडी हेतु रु.—1.75 लाख कार्पस फण्ड देय होगा। सामान्य रख-रखाव हेतु रु.—1.50 प्रति वर्ग फुट अतिरिक्त देय होगा।
	1 बी.एच.के.	34	41.66 से 42.68	47.94	2.40	4.80	अवशेष की 120 किश्तें	
	2 बी.एच.के.	122	66.64 से 67.39	73.61	3.68	7.36	तदैव	
2	यमुना अपार्टमेन्ट							
	03 बी.एच.के.	121	108.32	95.95	4.80	9.60	तदैव	
	2बी.एच.के.+स्टडी	175	97.47 से 98.30	88.55	4.43	8.86	तदैव	

मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद (व्यावसायिक हॉल)

क्रम. सं.	सम्पत्ति की श्रेणी	सम्पत्ति की संख्या	व्यावसायिक हॉल का नम्बर	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	आरक्षित श्रेणी	आरक्षित मूल्य	टोकन धनराशि (रु. में)
1	व्यावसायिक हॉल	02	4A/H-1	96.09	सामान्य	6261000.00	626100.00
			4A/H-2	86.82	सामान्य	5657000.00	565700.00
		01	5/H-1	62.92	सामान्य	4552000.00	455200.00

मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद (व्यावसायिक भूखण्ड)

क्रम. सं.	भूखण्ड की श्रेणी	भूखण्डों का नम्बर	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	आरक्षित श्रेणी	आरक्षित मूल्य	टोकन धनराशि (रु. में)
1	व्यवसायिक भूखण्ड	17/कॉम-1 (कार्नर)	150.09	सामान्य	56672.00	851000.00
2	व्यवसायिक भूखण्ड	17/कॉम-2	150.36	सामान्य	51520.00	775000.00
3	व्यवसायिक भूखण्ड	17/कॉम-3	149.31	सामान्य	51520.00	770000.00
4	व्यवसायिक भूखण्ड	17/कॉम-4	149.60	सामान्य	51520.00	771000.00

मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद आवासीय फ्लैट (आवंटन से)

सम्पत्ति का प्रकार	क्षेत्रफल वर्ग मी.	फ्लैटों की संख्या	तलवार	धनराशि (रु. लाख में)	पंजीकरण धनराशि 05 प्रतिशत	एकमुश्त धनराशि 10 प्रतिशत	रिमार्क
आसरा-1	33.59	1242	भूतल	12.86	64300.00	128600.00	विविध शुल्क, कार पार्किंग, कार्पस फण्ड व जी.एस.टी. अलग से देय होगी।
			प्रथम तल	11.62	58100.00	116200.00	
			द्वितीय तल	11.48	57400.00	114800.00	
			तृतीय तल	11.34	56700.00	113400.00	
आसरा-2	47.73	249	भूतल	20.78	103900.00	207800.00	
			प्रथम तल	18.57	92850.00	185700.00	
			द्वितीय तल	18.33	91650.00	183300.00	
			तृतीय तल	18.08	90400.00	180800.00	
सपना-1	64.72	166	भूतल	35.97	179850.00	359700.00	
			प्रथम तल	32.89	164450.00	328900.00	
			द्वितीय तल	32.64	162700.00	325400.00	
			तृतीय तल	32.21	161050.00	322100.00	
सपना-2	86.04	211	भूतल	47.26	236300.00	472600.00	
			प्रथम तल	43.27	216350.00	432700.00	
			द्वितीय तल	42.82	214100.00	428200.00	
			तृतीय तल	42.39	211950.00	423900.00	

मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद (आवासीय दुर्बल आय वर्ग फ्लैट)

सम्पत्ति का प्रकार	क्षेत्रफल वर्ग मी.	फ्लैटों की संख्या	तल	धनराशि (रु. लाख में)	पंजीकरण धनराशि 05 प्रतिशत	एकमुश्त धनराशि 10 प्रतिशत	रिमार्क
दुर्बल आय वर्ग	28.41	124	चार मंजिलें	5.72	29000.00	57200.00	विविध शुल्क, आदि देय अलग से होगा तथा रु.-1.00 लाख तक का आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से निर्गत होना चाहिए।

सिद्धार्थ विहार योजना

भवन संख्या	क्षेत्रफल	तल	आरक्षण श्रेणी	आरक्षित मूल्य (रु. लाख में)	टोकन धनराशि (05 प्रतिशत)
1	2	4	4	5	6
Sep-88	30.72	भूतल	अनारक्षित	1387500	70000
Sep-74	30.72	प्रथम तल	अनारक्षित	1119650	56000
Sep-27	30.72	द्वितीय तल	अनारक्षित	1092220	55000

नीलामी हेतु नियम एवं शर्तें :-

(1) व्यावसायिक सम्पत्तियों में एफ.ए.आर., संस्थागत भूखण्ड, नर्सिंग होम, सामुदायिक केन्द्र भूखण्डों में एफ.ए.आर. एवं सम्पत्ति के बारे में विस्तृत जानकारी सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

(2) सम्पत्तियों का आवंटन/नीलामी शासनादेश/परिषद के प्रदेशन सम्बन्धी विनियम व आदेशों के अनुरूप सम्पन्न की जायेगी। इच्छुक क्रेताओं को अनावसीय/आवासीय सम्पत्तियों के आरक्षित मूल्य की टोकन धनराशि उपरोक्तानुसार एवं कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर तदनुसार बैंक ड्राफ्ट/बैंक्स चेक अथवा पे-आर्डर जो कि उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद के पक्ष में देय हो आवेदन फार्म भरकर खुली नीलामी में भाग ले सकते हैं, सील्ड बिड कार्यालय दिवस में नीलामी से एक दिन पूर्व तक सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में दी जा सकती है। टोकन नीलामी तिथि को प्रातः 10.00 बजे से नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व तक निर्गत किये जायेंगे। संस्थागत भूखण्डों की नीलामी में केवल संस्थाओं द्वारा ही प्रतिभाग किया जा सकता है। सम्पत्तियों की संख्या/क्षेत्रफल में कमी वृद्धि हो सकती है।

(3) व्यावसायिक भूखण्डों में आरक्षित श्रेणी के आवेदकों द्वारा उ.प्र. सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति नीलामी से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(4) सम्पत्तियों की एफ.ए.आर. आदि की जानकारी वास्तुविधि नियोजक इकाई-5, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद से प्राप्त की जा सकती है।

(5) आवासीय सम्पत्तियों के आवेदकों को अपने आवेदन पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके पति/पत्नी/अव्यस्क बच्चों के पास कोई भवन/भूखण्ड शहर में नहीं है तथा उ.प्र. के किसी अन्य नगर में एक से भवन/भूखण्ड नहीं है। विज्ञापन व्यय प्राप्त उच्चतम बोली को 0.25 प्रतिशत अलग से लिया जायेगा। सम्पत्ति का कब्जा श्रेणी में वाछिंग एकमुश्त धनराशि जमा होने के उपरान्त शासनादेश के अनुसार देय स्टाम्प ड्यूटी जमा करने पर पंजीकृत अनुबन्ध के माध्यम से दिया जायेगा। आवेदन पत्र रु. 100.00 को भुगतान कर सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय सेक्टर-16ए वसुन्धरा काम्प्लेक्स हॉल एस-1, गाजियाबाद से प्राप्त कर सकते हैं तथा आवंटन से एक दिन पूर्व अपरान्ह 3:00 बजे तक सहमति प्रार्थना पत्र कार्यालय में जमा कर सकते हैं। सम्पत्ति का आवंटन नीलामी सम्पन्न होने के उपरान्त किया जायेगा। आवंटन स्थल पर आवंटन हेतु आवेदन प्राप्त ग्राह्य नहीं है, ऐसे आवेदन पत्रों को आगामी आवंटन में शामिल किया जा सकेगा। आसरा, सपना, गंगा, यमुना, हिण्डन परियोजनाओं में पार्किंग शुल्क, कार्पस फण्ड, जीएसटी पृथक से कब्जा पूर्व देय होगा। आसरा, सपना के भवनों में कार्पस फण्ड अलग से देय होगा।

(6) दुर्बल आय वर्ग हेतु आवेदक की गत वित्तीय वर्ष 2017-18 की वार्षिक आय 100000.00 अनतर्गत होनी चाहिए, उ.प्र. का निवासी होना चाहिए। आय के सम्बन्ध में उ.प्र. सरकार द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा व रु. 10.00 के स्टाम्प पेपर पर गाजियाबाद में कोई भवन/भूखण्ड न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। मण्डोला योजना के सभी दुर्बल आय वर्ग के भवनों के तलों का मूल्य समान है। सम्पत्ति का आवंटन लाटरी ड्रा द्वारा किया जायेगा एवं सम्पत्ति का कब्जा 10 प्रतिशत एकमुश्त लेने के बाद दिया जायेगा। शेष धनराशि का भुगतान 9.5 प्रतिशत ब्याज सहित 180 किश्तों में देय होगा।

(7) किसी भी विवाद की दशा में आवास आयुक्त (म0) का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

नोट :

- (1) आवंटित सम्पत्ति के स्वीकृत मूल्य पर आवेदक को शासनादेश के अनुसार आयकर/जी.एस.टी. अलग से भुगतान करना होगा।
- (2) सम्पत्तियों के आवंटन के पश्चात् नियमानुसार कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा। सम्पत्ति जहाँ है जैसे है के आधार पर आवंटित की जायेगी।
- (3) आवंटन सम्बन्धी आवेदन पत्र आवंटन/नीलामी की निर्धारित तिथि से दो दिन पूर्व तथा सीलड बिड निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में प्राप्त की जायेगी।

विशेष नोट :

शीघ्र ही 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के अन्तर्गत परिषद की रिक्त सम्पत्तियों को लेने हेतु HDFC Bank के माध्यम से ऋण मेला का आयोजन सेक्टर-16, आफिस काम्पलेक्स वसुंधरा, गाजियाबाद में प्रातः 11 बजे किया जायेगा। मेले में इच्छुक आवेदको द्वारा भाग लिया जा सकता है।

विशेष सूचना : परिषद के आवंटियों/ग्राहकों की शिकायतों/समस्याओं के निस्तारण हेतु उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रत्येक माह के तृतीय बृहस्पतिवार को "परिषद दिवस" का आयोजन जोनल कार्यालय एवं परिषद के लखनऊ स्थित मुख्यालय कार्यालय पर प्रातः 10:00 से 12:30 तक किया जाता है। अवकाश की दशा में परिषद दिवस का आयोजन अगले कार्य दिवस में होगा।

रिट याचिका संख्या-16358/2018 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारिद आदेश दिनांक 10.05.2018 के अनुपालन में वसुन्धरा योजना गाजियाबाद में पंजीकृत विस्थापित श्रेणी के आवेदकों के पक्ष में छोटे व्यावसायिक भूखण्डों की नीलाती पुनः प्रस्तावित है।

वसुन्धरा योजना गाजियाबाद में विस्थापित श्रेणी के किसानों को नीलामी के माध्यम से आवंटित किये जाने वाले भूखण्ड

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	कार्नर	आरक्षित मूल्य प्रति वर्ग मी.	कुल मूल्य	उच्चतम बोलीदाता द्वारा 10 प्रतिशत टोकन धनराशि जो 15 दिवसों में देय होगी (पंजीकरण धनराशि रु.- 5000.00 के समायोजन के उपरान्त) जमा करनी होगी।
1	2	3	4	5	6	7
1	3/SP-1	15.99		114688.00	1833861.00	178386.00
2	3/SP-2	15.99		114688.00	1833861.00	178386.00
3	3/SP-3	15.99		114688.00	1833861.00	178386.00
4	3/SP-4	15.99		114688.00	1833861.00	178386.00
5	3/SP-5	15.99		114688.00	1833861.00	178386.00
6	3/SP-6	26.11	C	126157.00	3293959.00	324396.00
7	3/SP-7	26.11	C	126157.00	3293959.00	324396.00
8	3/SP-8	15.99		114688.00	1833861.00	178386.00
9	3/SP-9	15.99		114688.00	1833861.00	178386.00
10	3/SP-10	15.99		114688.00	1833861.00	178386.00
11	3/SP-11	15.99		114688.00	1833861.00	178386.00
12	3/SP-12	15.99		114688.00	1833861.00	178386.00
13	4B/SP-1	23.375	C	139709.00	3265698.00	321570.00
14	4B/SP-2	17.050		127008.00	2165486.00	211549.00
15	4B/SP-3	17.050		127008.00	2165486.00	211549.00
16	4B/SP-4	17.050		127008.00	2165486.00	211549.00
17	4B/SP-5	29.28		127008.00	3718794.00	366879.00
18	4B/SP-6	29.28		127008.00	3718794.00	366879.00
19	4B/SP-7	17.050		127008.00	2165486.00	211549.00
20	4B/SP-8	17.050		127008.00	2165486.00	211549.00
21	4B/SP-9	17.050		127008.00	2165486.00	211549.00
22	4B/SP-10	23.375	C	139709.00	3265698.00	321570.00
23	4B/SP-11	23.375	C	139709.00	3265698.00	321570.00
24	4B/SP-12	17.050		127008.00	2165486.00	211549.00
25	4B/SP-13	17.050		127008.00	2165486.00	211549.00
26	4B/SP-14	17.050		127008.00	2165486.00	211549.00
27	4B/SP-15	17.050		127008.00	2165486.00	211549.00
28	4/SP-1	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
29	4/SP-2	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
30	4/SP-3	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
31	4/SP-4	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
32	4/SP-5	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
33	4/SP-6	16.50	C	139709.00	2305199.00	225520.00
34	4/SP-7	16.50	C	139709.00	2305199.00	225520.00

35	4/SP-8	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
36	4/SP-9	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
37	4/SP-10	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
38	4/SP-11	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
39	4/SP-12	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
40	4/SP-13	16.50	C	139709.00	2305199.00	225520.00
41	4/SP-14	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
42	4/SP-15	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
43	4/SP-16	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
44	4/SP-17	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
45	4/SP-18	16.50	C	139709.00	2305199.00	225520.00
46	4/SP-19	16.50	C	139709.00	2305199.00	225520.00
47	4/SP-20	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
48	4/SP-21	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
49	4/SP-22	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
50	4/SP-23	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
51	4/SP-24	16.50	C	139709.00	2305199.00	225520.00
52	4/SP-25	16.50	C	139709.00	2305199.00	225520.00
53	4/SP-26	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
54	4/SP-27	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
55	4/SP-28	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
56	4/SP-29	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
57	4/SP-30	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
58	4/SP-31	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
59	4/SP-32	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
60	4/SP-33	16.50	C	139709.00	2305199.00	225520.00
61	4/SP-34	16.50	C	139709.00	2305199.00	225520.00
62	4/SP-35	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
63	4/SP-36	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
64	4/SP-37	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
65	4/SP-38	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
66	4/SP-39	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
67	4/SP-40	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
68	4/SP-41	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
69	4/SP-42	16.50	C	139709.00	2305199.00	225520.00
70	4/SP-43	16.50	C	139709.00	2305199.00	225520.00
71	4/SP-44	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
72	4/SP-45	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
73	4/SP-46	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
74	4/SP-47	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
75	4/SP-48	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
76	4/SP-49	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
77	4/SP-50	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
78	4/SP-51	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
79	4/SP-52	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00

80	4/SP-53	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
81	4/SP-54	16.50	C	139709.00	2305199.00	225520.00
82	4/SP-55	16.50	C	139709.00	2305199.00	225520.00
83	4/SP-56	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
84	4/SP-57	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
85	4/SP-58	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
86	4/SP-59	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
87	4/SP-60	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
88	4/SP-61	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
89	4/SP-62	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
90	4/SP-63	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
91	4/SP-64	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
92	4/SP-65	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
93	4/SP-66	16.50	C	139709.00	2305199.00	225520.00
94	4/SP-67	16.50	C	139709.00	2305199.00	225520.00
95	4/SP-68	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
96	4/SP-69	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
97	4/SP-70	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
98	4/SP-71	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
99	4/SP-72	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
100	4/SP-73	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
101	4/SP-74	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
102	4/SP-75	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
103	4/SP-76	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
104	4/SP-77	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
105	4/SP-78	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
106	4/SP-79	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
107	4/SP-80	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
108	4/SP-81	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
109	4/SP-82	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
110	4/SP-83	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
111	4/SP-84	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
112	4/SP-85	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
113	4/SP-86	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
114	4/SP-87	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
115	4/SP-88	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
116	4/SP-89	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
117	4/SP-90	16.50	C	139709.00	2305199.00	225520.00
118	4/SP-91	16.50	C	139709.00	2305199.00	225520.00
119	4/SP-92	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
120	4/SP-93	16.50		127008.00	2095632.00	204563.00
121	4/SP-94	16.50	C	139709.00	2305199.00	225520.00
122	6/SP-1	23.375	C	139709.00	3265698.00	321570.00
123	6/SP-2	17.050		127008.00	2165486.00	211549.00
124	6/SP-3	17.050		127008.00	2165486.00	211549.00

125	6/SP-4	17.050		127008.00	2165486.00	211549.00
126	6/SP-5	33.945		127008.00	4311287.00	426129.00
127	6/SP-6	33.945		127008.00	4311287.00	426129.00
128	6/SP-7	17.050		127008.00	2165486.00	211549.00
129	6/SP-8	17.050		127008.00	2165486.00	211549.00
130	6/SP-9	17.050		127008.00	2165486.00	211549.00
131	6/SP-10	23.375	C	139709.00	3265698.00	321570.00
132	6/SP-11	23.375	C	139709.00	3265698.00	321570.00
133	6/SP-12	17.050		127008.00	2165486.00	211549.00
134	6/SP-13	17.050		127008.00	2165486.00	211549.00
135	6/SP-14	17.050		127008.00	2165486.00	211549.00
136	6/SP-15	17.050		127008.00	2165486.00	211549.00

वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के पूर्व पंजीकृत विस्थापित किसानों के मध्य छोटे व्यावसायिक भूखण्डों का नीलामी से निस्तारण हेतु नीलामी हेतु प्रमुख शर्तें

1. नीलामी में भाग लेने हेतु पंजीकृत विस्थापित किसान को नीलामी के आवेदन पत्र के साथ मूलरूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र व चालान की मूलप्रति प्रस्तुत करने पर ही नीलामी हेतु टोकन प्राप्त कर नीलामी में भाग ले सकेंगे।
2. नीलामी स्थल पर केवल पंजीकृत आवेदक ही नीलामी हॉल में प्रवेश के पात्र होंगे। उक्त के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति को नीलामी स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
3. उच्चतम बोली दाता को सम्पत्ति के आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत जिसमें पंजीकरण धनराशि रु. 5000.00 समायोजन के उपरान्त शेष धनराशि बोली की तिथि से अगले 15 बैंक कार्य दिवस में परिषद द्वारा अधिकृत एच.डी.एफ.सी. बैंक, सेक्टर-15, वसुन्धरा, गाजियाबाद के खाता सं. - 50200027589241 में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कर उसकी सूचना कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
4. निर्धारित अवधि में 10 प्रतिशत धनराशि जमा न होने की दशा में पंजीकरण धनराशि रु. 5000.00 व उस पर अर्जित ब्याज जब्त करते हुए पंजीकरण व नीलामी निरस्त कर दी जायेगी।
5. मूल पंजीकृत आवेदक द्वारा दी गयी नीलामी की बोली ग्राह्य होगी। विशेष दशा में पंजीकृत व्यक्ति अपने स्थान पर अपने खून के रिश्ते में किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है जिसके लिए उन्हें परस्पर पहचान हेतु अधिकार पत्र के साथ पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड, पैन कार्ड व अन्य आई.डी. प्रूफ जिससे खून के रिश्ते की पुष्टि हो सके, प्रस्तुत करना होगा।
6. नकद क्रय पर सम्पत्ति का भुगतान करने की दशा में कुल मूल्य का भुगतान प्रदेशन पत्र निर्गत होने की 3 माह के भीतर करने, निर्धारित दर से देय स्टाम्प प्रस्तुत कर विक्रय विलेख निष्पादित कराने के उपरान्त नियमानुसार कब्जा देय होगा। किश्त क्रय पर भुगतान किये जाने की दशा में कुल मूल्य का 50 प्रतिशत धनराशि व विविध व्यय की धनराशि प्रदेशन पत्र निर्गत होने के 3 माह के भीतर एवं निर्धारित दर से देय स्टाम्प पर अनुबन्ध निष्पादित कराने के उपरान्त कब्जा प्रदान किया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत धनराशि 04 वर्ष की 48 मासिक किश्तें 11 प्रतिशत ब्याज सहित देय होंगी। विलम्ब से भुगतान करने पर नियमानुसार दण्ड ब्याज देय होगा।
7. नीलामी हेतु उपलब्ध सम्पत्तियों का विवरण संक्षिप्त नियम व शर्तें तथा नीलामी में सम्मिलित होने का आवेदन पत्र रु.-100.00 का भुगतान कर सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, सेक्टर-16ए, वसुन्धरा काम्प्लैक्स, वसुन्धरा, गाजियाबाद से प्राप्त किया जा सकता है।
8. सम्पत्तियों के निर्माण के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी वास्तुविद् नियोजक इकाई-5, वसुन्धरा गाजियाबाद से प्राप्त की जा सकती है। सम्पत्तियों पर किसी प्रकार का निर्माण परिषद से विधिवत मानचित्र स्वीकृत कराने के उपरान्त ही किया जा सकता है।
9. नीलामी हेतु उपलब्ध सम्पत्तियों की संख्या/क्षेत्रफल में कमी व वृद्धि सम्भावित है। सम्पत्तियाँ "जहाँ है जैसे हैं" के आधार पर नीलामी की जायेगी। नीलामी स्वीकृत हो जाने के बाद सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।
10. प्राप्त उच्चतम मूल्य के अनुसार सम्पत्ति के कुल मूल्य के अतिरिक्त विविध शुल्क के मद में देय धनराशियों का भुगतान करने व निर्धारित दर से देय स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत करने पर ही विलेखों का निष्पादन कर कब्जा प्रदान किया जायेगा।
11. विस्थापित श्रेणी के पंजीकृत आवेदकों के मध्य नीलामी मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में निर्णीत याचिका संख्या-16355/2018 में पारित आदेश के अनुपालन में की जा रही है।
12. आवास आयुक्त महोदय को बिना कोई कारण बताये नीलामी, किसी भी बोली को अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।
13. विवाद की दशा में आवास आयुक्त महोदय का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें



1800-180-5333



टोल फ्री

0522-2236803

पर सम्पर्क करें या परिषद की वेबसाइट पर लॉगिन करें।

IS 15700:2005



सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Website : <http://www.upavp.in>, E-mail: info@upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

